न्यायालयः अपर सेशन न्यायाधीश क्रम–10 जयपुर महानगर, प्रथम मुख्यालय सांगानेर।

पीठासीन अधिकारी– राजपाल सिंह
दाण्डिक विविध जमानत सं.–122/2026 (सीआईएस नं.–231/2026)

अनीता शर्मा पत्नी राजकुमार शर्मा, आयु 52 वर्ष, निवासी ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर।

–प्रार्थीया/अभियुक्ता

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, जयपुर।

––अप्रार्थी/राज्य

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र धारा–438 दं.प्र.सं. (482 बीएनएसएस)
प्र.सू.रि.सं.–904/2025 पुलिस थाना मुहाना जयपुर दक्षिण।
अपराध अंतर्गत धारा–420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं.सं.

उपस्थितः–

1– श्री प्रकाश तिवाडी, अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से।
2– अपर लोक अभियोजक राजस्थान राज्य की ओर से।
3– श्री संदीप यादव, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

आदेश

दिनांकः 04.04.2026

1. प्रार्थीया/अभियुक्ता की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–438 दं.प्र.सं. (482 बीएनएसएस) के अंतर्गत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। अनुसंधान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट के संबंधित पुलिस थाने से तलब की गई।

2. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं, कि परिवादिया बरखा यादव ने विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–18, जयपुर महानगर, मुख्यालय सांगानेर के समक्ष एक परिवाद आरोपीगण अनीता शर्मा, अमित शर्मा, सुरेश चंद शर्मा व सत्यनारायण शर्मा के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि परिवादिया के स्वामित्व व मालिकाना हक का एक प्लॉट संख्या 11/ओई/606 रिंग रोड, ग्राम अभयपुरा, तहसील सांगानेर में 300 वर्गमीटर स्थित है जिसे दिसम्बर, 2022 में दयाशंकर बैरवा से खरीद कर भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूखण्ड का सर्वप्रथम आवंटन जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लालचंद को किया गया, तत्पश्चात् लालचंद ने जरिये मुख्त्यार आम श्री कन्हैयालाल के उक्त भूखण्ड का

विक्रय जून, 2019 में पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जुनलाल शर्मा को किया गया। अर्जुनलाल ने उक्त भूखण्ड को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दयाशंकर बैरवा को विक्रय कर दिया, इसके पश्चात् उक्त भूखण्ड परिवादिया ने क्रय कर लिया। दिनांक 22.08.2025 से लगभग 20 दिन पूर्व परिवादिया अपने उक्त भूखण्ड की सार संभाल करने गई तो वहॉ पर रघुराज सिंह नामक व्यक्ति आया जिसने उक्त भूखण्ड को स्वयं के स्वामित्व का होना बताया एवं उक्त भूखण्ड को अनीता शर्मा से खरीद करना बताया। प्रार्थीया द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड का असल पट्टा विलेख लालचंद के नाम से जारी किया गया था। रघुराज सिंह से विवाद होने पर वह उस समय मौके से चला गया, तत्पश्चात् प्रार्थीया ने आरटीआई के जरिये जयपुर विकास प्राधिकरण से जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि अनीता शर्मा ने दिनांक 28.04.2023 को राजस्थान पुलिस पोर्टल पर उक्त भूखण्ड के मूल अलॉटमेंट लैटर, कब्जा पत्र एवं रजिस्टर्ड लीज डीड को स्वयं के घर से जयपुर विकास प्राधिकरण जाते समय गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाकर एवं उक्त गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर स्वयंके पक्ष में स्व. लाल चंद शर्मा द्वारा निष्पादित वसीयत को जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर स्वघोषणा पत्र के माध्यम से जयपुर विकास प्राधिकरण से दिनांक 02.08.2023 को स्वयं के पक्ष में पट्टा विलेख जारी करवा लिया। आर.टी.आई. से प्राप्त जानकारी के आधार पर परिवादिया द्वारा आभास हो गया कि आरोपी संख्या 1 ने छल पूर्वक उक्त भूखण्ड को हडप करने के लिए अपने पिता लालचंद शर्मा एवं अपने पुत्र अमित शर्मा एवं भाई प्रार्थी/अभियुक्त सुरेश चंद शर्मा व सत्यनारायण शर्मा के साथ आपराधिक षडयंत्र कर संगठित अपराध के तहत सर्वप्रथम पूर्व में विक्रय किये गये भूखण्ड की कूटरचित वसीयत तैयार की, आदि...आदि।

3. उक्त परिवाद धारा 156(3) दं.प्र.सं. के प्रावधानों में पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण पर प्रेषित किया गया, जिस पर प्र.सू.रि.सं. 904/2025 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रार्थीया/अभियुक्ता द्वारा हस्तगत प्रकरण में स्वयं की गिरफ्तारी की आशंका से मौजूदा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. जमानत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया।

5. विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीया/अभियुक्ता का दौराने बहस जमानत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन रहा है कि मुकामी पुलिस प्रार्थीया को बेवुनियाद तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार करने पर आमादा है, जबकि उसका प्रश्नगत अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। परिवादिया द्वारा कूटरचित वसीयत तैयार करने के संबंध में मिथ्या एवं कपोल–कल्पित तथ्य प्राथमिकी में अंकित किये हैं, जबकि प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित वसीयत रजिस्टर्ड है। प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में पॉवर ऑफ अटॉर्नी बहक कन्हैयालाल दिनांक 24.12.2014 फर्जी व कूटरचित है और ऐसी फर्जी व कूटरचित पॉवर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित सभी विक्रय पत्र शून्य एवं निष्प्रभावी है। परिवादीया स्वयं अपराधी है। वसीयत के गवाह सुरेश चंद का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। वसीयत की वैधता पर रजिस्टर्ड होने से कोई सवाल नहीं उठाया जा

सकता। प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 18 जयपुर महानगर प्रथम सांगानेर के यहॉ श्रीमती बरखा बनाम श्रीमती अनीता उनवानी वाद विचाराधीन है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखने के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया हुआ है। प्रार्थीया महिला है तथा माईग्रेन तथा दीर्घकालिक सिरदर्द विकार से पीडित है। अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। इन आधारों पर प्रार्थीया का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने की प्रार्थना की गई।

6. इसके विपरीत योग्य अपर लोक अभियोजक एवं अधिवक्ता परिवादी ने जमानत प्रार्थना पत्र का कडा विरोध किया एवं कथन किया कि प्रार्थीया/ अभियुक्ता द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में कूटरचित वसीयत स्वयं के पक्ष में करवाई है। मामला गंभीर प्रकृति का है। इन आधारों पर प्रार्थीया/अभियुक्ता का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज करने की प्रार्थना की गई।

7. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया/अभियुक्ता के विरूद्ध प्रथमदृष्ट्या धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.दं. सं. में अपराध प्रमाणित पाया गया है। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि पॉवर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है, केवल मात्र नोटेरी से प्रमाणित है, जबकि प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित वसीयत जिसे परिवादिया ने कूटरचित बताया है, विधिनुसार उप–पंजीयक के समक्ष रजिस्टर्ड करवाई हुई है। पक्षकारान के बीच सिविल मामले भी विचाराधीन हैं जिसमें न्यायालय द्वारा वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में स्थगन आदेश तक जारी किए हुए हैं। वसीयत के गवाह सुरेश चंद का नियमित जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीया महिला है तथा अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की राय व्यक्त किये बिना तथ्य, परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थीया को इस प्रकरण में अग्रिम जमानत पर स्वतंत्र किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है।

8. अतः प्रार्थीया/अभियुक्ता अनीता शर्मा की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–438 दं.प्र.सं. (482 बीएनएसएस) स्वीकार किया जाकर अनुसंधान अधिकारी पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थीया/अभियुक्ता अनीता शर्मा को प्र.सू.रि.सं.–904/2025 में गिरफ्तार किए जाने की दशा में उसके द्वारा संतुष्टिप्रद समाधान का पचास हजार रूपये का स्वयं का मुचलका तथा पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये की दो मौतबीर जमानतें निम्नांकित शर्तो के साथ प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे, तो उसे इस प्रकरण में गिरफ्तार नहीं किया जावे–

1– अनुसंधान अधिकारी को अनुसंधान में पूर्ण सहयोग करेगी तथा स्वयं को अनुसंधान हेतु/पूछताछ के लिए जब तथा जैसे यथास्थान उपलब्ध रखेगी।

2– प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों को किसी प्रकार की धमकी, भय या प्रलोभन नहीं देगी, जिससे कि वे न्यायालय व पुलिस अधिकारी के समक्ष सही तथ्य प्रकट न कर सके।

3– बिना विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोडेगी।

4– प्रार्थीया/अभियुक्ता अपने वर्तमान पते का प्रमाणित आधार व मोबाइल नंबर प्रस्तुत करेगा एवं परिवर्तन की दशा में तुरंत सूचित करेगी।

उक्त आदेश की एक प्रति सबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी पुलिस थाना मुहाना, जयपुर दक्षिण को प्रेषित की जाये।

(राजपाल सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–10
जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर

9. आदेश आज दिनांक 04.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल सिंह)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम–10
जयपुर महानगर–प्रथम, मुख्यालय सांगानेर